न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
162/2020	11-09-2020	17/05/2022

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

———:: वादी

बनाम

01. धर्मसिंह
02. लक्ष्मीचन्द
03. अशोक कुमार पुत्रान मुन्शीराम जाति अहीर निवासीगण वजीराबाद तहसील व जिला गुरूग्राम
04. सतबीर
05. राजपाल
06. रिछपाल पुत्रान अमरसिंह
07. महादेई पत्नी अमरसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम नखडौला तहसील व जिला गुरूग्राम
08. विरेन्द्र पुत्र बहादरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर
09. पूरणसिंह
10. मंगलसिंह पुत्रान हरपालसिंह
11. वीरोबाई
12. गुररोबाई
13. शीलाकौर पुत्रीयान हरपालसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
14. सुखविन्दर कौर पत्नी हरिसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम झुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
15. अन्जु पत्नी धर्मवीर जाति महाजन
16. किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
17. रहीसन पत्नी उस्मान जाति मेव निवासी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर
18. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
19. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. शाखा टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

खसरा नम्बर 226 रकबा 0.37 है0, 227 रकबा 0.28 है0, 229 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। योगेश शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 की संयुक्त कब्जे काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में 226 रकबा 0.37 है0 में 1/3 हिस्सा दर 19/29 भाग व 227 रकबा 0.28 है0 में 1/3 हिस्सा दर 15/28 व 229 रकबा 0.20 है0 में 1/16 भाग वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे हो रहा है। जिस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 अपने अपने हिस्से के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर इंच पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डसआज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से प्रदीप कुमार अधिवक्ता उपस्थित हुये को समुचित अवसर प्रदान करने पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके उपरान्त जवाब बन्द किया गया। शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 18 व 19 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09–12–2021 को प्रारम्भिक डिक्री जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/5026 दिनांक 04–04–2022 के द्वारा प्रकरण में कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 226 रकबा 0.37 है0, 227 रकबा 0.28 है0, 229 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील टपूकडा (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्रा0लि0 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	227	0.1433	बारानी 2	0.56808
02.	अंजू पत्नी धर्मवीर हि0 666/35335 महाजन सा. टपूकडा अशोक कुमार धर्मसिंह लखमीचन्द पि0 मुंशीराम अहीर हि0 14331/70670 सा0 नखडौला किशनलाल पि0 सोहनलाल जाति स्वामी हि0 6001/70670 सा0 टपूकडा	226 229 227/1	0.37 0.20 0.1367	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	1.46 0.79 0.54192

	[illegible]सिंह मंगलसिंह पि0 हरपाल सिंह 4000/35335 गुरोबाई शीला कौर पि0 हरपाल सिंह हि0 667/7067 वीरोबाई पुत्री हंरपाल सिंह हि0 6001/70670 जरनेलसिंह पि0 हुकम सिंह हि0 2321/70670 रायसिख सा. झुण्डपुरी प्रकाश कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह हि0 1388/35335 रायसिख महादेई पत्नी राजपाल रिछपाल सतवीर पुत्रान अमरसिंह हि0 7166/35335 रहीसन पत्नी उस्मान हि0 4001/70670 मेव सा. नाखनौल विरेन्द्र पुत्र बहादुर सिंह हि. 368/7067 राजपूत सा. कारोली सुखविन्दर कौर पत्नी हीरासिंह रायसिख हि0 245/14134 सा झुण्डपुरी खातेदार				

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
162/2020	11-09-2020	17/05/2021

उनवान

01. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

----:: वादी

बनाम

01. धर्मसिंह
02. लक्ष्मीचन्द
03. अशोक कुमार पुत्रान मुन्शीराम जाति अहीर निवासीगण वजीराबाद तहसील व जिला गुरूग्राम
04. सतबीर
05. राजपाल
06. रिछपाल पुत्रान अमरसिंह
07. महादेई पत्नी अमरसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम नखडौला तहसील व जिला गुरूग्राम
08. विरेन्द्र पुत्र बहादरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कारौली तहसील तिजारा जिला अलवर
09. पूरणसिंह
10. मंगलसिंह पुत्रान हरपालसिंह
11. वीरोबाई
12. गुररोबाई
13. शीलाकौर पुत्रीयान हरपालसिंह जाति रायसिख निवासीगण ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
14. सुखविन्दर कौर पत्नी हरिसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम झुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
15. अन्जु पत्नी धर्मवीर जाति महाजन
16. किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासीगण ग्राम टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर
17. रहीसन पत्नी उस्मान जाति मेव निवासी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर
18. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
19. शाखा प्रबन्धक बी.ओ.बी. शाखा टपूकडा तहसील तिजारा जिला अलवर

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: पर्चा डिकी ::-

हाल आराजी खसरा नम्बर 226 रकबा 0.37 है0, 227 रकबा 0.28 है0, 229 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील टपूकडा (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

क्र.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	[illegible] प्रोपर्टीज प्रा०लि० 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार	227	0.1433	बारानी 2	0.56808
02	अंजू पत्नी धर्मवीर हि0 666/35335 महाजन सा. टपूकडा अशोक कुमार धर्मसिंह लखमीचन्द पि0 मुंशीराम अहीर हि0 14331/70670 सा0 नखडौला किशनलाल पि0 सोहनलाल जाति स्वामी हि0 6001/70670 सा0 टपूकडा पूरणसिंह मंगलसिंह पि0 हरपाल सिंह 4000/35335 गुरोबाई शीला कौर पि0 हरपाल सिंह हि0 667/7067 वीरोबाई पुत्री हरपाल सिंह हि0 6001/70670 जरनेलसिंह पि0 हुकम सिंह हि0 2321/70670 रायसिख सा. झुण्डपुरी प्रकाश कौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह हि0 1388/35335 रायसिख महादेई पत्नी राजपाल रिछपाल सतवीर पुत्रान अमरसिंह हि0 7166/35335 रहीसन पत्नी उस्मान हि0 4001/70670 मेव सा. नाखनौल विरेन्द्र पुत्र बहादुर सिंह हि. 368/7067 राजपूत सा. कारोली सुखविन्दर कौर पत्नी हीरासिंह रायसिख हि0 245/14134 सा झुण्डपुरी खातेदार	226 229 227/1	0.37 0.20 0.1367	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	1.46 0.79 0.54192

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिक्री का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०